

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 124/2020 (2020/00652)

दर्ज दिनांक 20.11.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. भैरूलाल पिता बालुराम कुमावत निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

—प्राथी

बनाम

1. भंवरलाल पिता गेरू कुमावत निवासी दियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
 2. हीराबाई पत्नि बालुराम कुमावत
 3. सोहनलाल पिता गेरू कुमावत
 4. रामचन्द्र पिता गोकल कुमावत
 5. जगदीश पिता मोडीराम कुमावत
 6. लालुराम पिता मोडीराम कुमावत
 7. गोपाल पिता मोडीराम कुमावत
 8. बक्षीराम पिता मोडीराम कुमावत
 9. नारायणलाल पिता मोडीराम कुमावत
- सर्व निवासी मेघा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री हेमेन्द्र सुवालका
अधिवक्ता विपक्षी सं0 6:- श्री महेश दाहीच

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-12.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1640/1164 रकबा 0.10 हे0 किस्म बारानी, 1642/1209 रकबा 0.11 हे0 किस्म बारानी III, आराजी संख्या 1646/1165 रकबा 0.11 हे0 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.32 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 333 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रस्तुत हैं।

इसी प्रकार ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थी एवं अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1163 रकबा 0.03 हे0 किस्म गे0मु0आ0चा0, आराजी संख्या 1210 रकबा 0.01 हे0 किस्म गे0आ0आ0आ0 आचा, आराजी संख्या 1641/1164 रकबा 0.04 हे0 किस्म बारानी III, आराजी नं0 1644/1164 रकबा 0.025 हे0 किस्म बारानी III, आराजी संख्या 1648/1211 रकबा 0.0515 हे0 किस्म बीड़ कु0आ0आ0 5 कुल रकबा 0.12 हे0 खाता संख्या 169 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2 लगायत 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा भूमि धारक को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाने का अधिकार का हवाला देते हुए एवं स्वयं की खातेदारी भूमि बताते हुए पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। विपक्षी के अधिवक्ता ने दौराने बहस मौका पर्चा मंगवाने एवं मौके पर किसका कब्जा है यह साबित हो तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1640/1164 रकबा 0.10 हे0 किस्म बारानी, 1642/1209 रकबा 0.11 हे0 किस्म बारानी III, आराजी संख्या 1646/1165 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.32 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 333 पर दर्ज होकर स्थित हैं। इसी प्रकार ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1163 रकबा 0.03 हे0 किस्म गे0मु0आ0चा0, आराजी संख्या 1210 रकबा 0.01 हे0 किस्म गे0मु0 आचा, आराजी संख्या 1641/1164 रकबा 0.04 हे0 किस्म बारानी III, आराजी नं0 1644/1209 रकबा 0.025 हे0 किस्म बारानी III, आराजी संख्या 1648/1211 रकबा 0.0515 हे0 किस्म बीड़ कुल किता 5 कुल रकबा 0.12 हे0 खाता संख्या 169 पर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला सहाड़ा 2
12/02/2021